



राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयर पोर्ट रोड, भोपाल – 462033

दूरभाष क्रमांक (0755)-2678860 फ़ैक्स (0755)-2742006

विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले पात्र अभियर्थियों के आवेदन नीचे दर्शाये गये विहित प्रारूप में दिनांक 10 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय सायंकाल 5:00 बजे तक विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन कुलसचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट रोड, भोपाल-462033 के नाम स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये जावें। डाक से हुए विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी निम्नलिखित है:-

क्र०	पदनाम/वेतनमान	पद की संख्या	दिव्यांगजनों के विकलांगता की श्रेणी				निर्धारित योग्यता
			दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता	
01	सहायक ग्रेड - 03	01	निरक	निरक	01	निरक	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पी.जी.डी.सी.ए.) एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का वैध प्रमाण पत्र (Score Card) होना अनिवार्य है।
02	प्रयोगशाला परिचालक	01	निरक	निरक	01	निरक	विज्ञान संकाय में 12वीं उत्तीर्ण।
03	भूत्य	04	02	निरक	02	निरक	8वीं कक्षा उत्तीर्ण।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू (साक्षात्कार) के लिये दिनांक 12.07.2024 एवं समय प्रातः 10:30 बजे निर्धारित है। व उम्मीदवार अधिक होने की स्थिति में वॉक-इन-इन्टरव्यू अगले दिन भी किये जावेंगे। नियत तिथि एवं समय के बाद उपस्थित उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने पर विचार नहीं जावेगा। वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिये स्थान प्रशासनिक भवन, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट रोड, भोपाल-462033 होगा।

विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार है:-

- नि:शक्तजनों की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- उपरोक्त पदों हेतु आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया नि:शक्तता का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी. 3-11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
- आवेदक का मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यलय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

06. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा। जॉच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पायी जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
07. पूर्व से सेवारत/विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
08. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
09. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
11. जिस आवेदक के दो से अधिक संतान है व उनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
12. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।
13. समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रतियां स्व-प्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।
14. आवेदक द्वारा समस्त प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा की जावेगी।
17. यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
18. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
19. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे अगले प्रस्तुत दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
20. यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल, निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाये।
21. पदों, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल की वेब साईट www.rgpv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(डॉ. मोहन सेन)
कुलसचिव
राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

शिक्षकीय/गैरशिक्षकीय वर्ग के लिये

स०क०	पद का नाम	दिव्यांगजनों के विकलांगता की श्रेणी				योग
		दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्टाफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता	
1	सहायक ग्रेड-3	निरंक	निरंक	1 पद विवरण- 1 अनारक्षित यूआई.टी. भोपाल	निरंक	1
2	प्रयोगशाला परिचालक	निरंक	निरंक	1 पद विवरण- 1 अनारक्षित यूआई.टी. भोपाल	निरंक	1
3	भृत्य	2 पद विवरण- 2 अनारक्षित यूआई.टी. भोपाल	निरंक	2 पद विवरण- 1-अनारक्षित महिला यूआई.टी. भोपाल 1-अनारक्षित महिला यूआई.टी. शिवपुरी	निरंक	4

// आवेदन का प्रारूप(गैर शिक्षकीय पदों हेतु) //

प्रति,

कुलसचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
एयरपोर्ट रोड,
भोपाल-462033

राजपत्रित अधिकारी
द्वारा सत्यापित
नवीनतम फोटो यहाँ
चिपकाये

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक का पूरा नाम
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित
4. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र संलग्न करें
(जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
5. आधार कार्ड नम्बर
6. पेन कार्ड नम्बर
7. वर्तमान निवास का पता एवं पिनकोड
8. स्थाई निवास का पूर्ण पूता एवं मोबाईल नं.
9. जाति एवं उपजाति / /
10. निःशक्तता का प्रकार / /
11. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक दिनांक
12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान
13. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख
14. जीवित बच्चों का विवरण:-

क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि

15. शैक्षणिक योग्यता:- (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक / प्राप्तांक	श्रेणी

16. अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता/अनुभव
- (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं अतिरिक्त जानकारी/अनुभव पृथक से संलग्न करें)
17. संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों की सूची:-
01.
02.
03.
04.
05.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दिशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर.....

एवं पूरा नाम.....